न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र सं. 71/2012 RCMS NO: 2012/00127
तारीख दर्जः– 25.05.2012
निर्णय दिनांकः– 12-06-2024

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली जिला पाली।		1. विनय वैष्णव पुत्र उदयशंकर जाति वैष्णव निवासी कान्दिवली मुम्बई।

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र बाबत् बेदखली अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, बाली

–:: निर्णय ::– दिनांक : 12-06-2024

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर तहसीलदार बाली लैण्ड होल्डर ने रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच के पश्चात प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जादरी स्थित भूमि खसरा नंबर 351/3 रकबा 2.88 हैक्टेयर किस्म बंजड एवं खसरा नंबर 354/3 रकबा 0.24 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम राजस्व रेकर्ड में कृषि भूमियां दर्ज है, परंतु मौके पर पटवारी हल्का बेडल की रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम जादरी के खसरा नंबर 351/3 व 354/3 रकबा क्रमशः 2.88 हैक्टेयर व 0.24 हैक्टेयर की बिना 90 बी कराये अप्रार्थीगण खातेदारों द्वारा प्लॉटों के निशानात बनाकर नम्बरींग की गई है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन होने से प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमियों को राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिए जाने का निवेदन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी विनय वैष्णव के आम मुख्त्यार श्री अनिल वैष्णव की ओर से अधिवक्ता श्री नारायणसिंह जोशी द्वारा प्रकरण में पैरवी की गई। खसरा नंबर 351/3 के खातेदारान् इन्दरमल पुत्र फुटरमल कौम कलाल निवासी मुण्डारा वगैरा बावजूद नोटिस तामील के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहे। खसरा नंबर 354/3 के आममुख्त्यार के अधिवक्ता श्री नारायण सिंह जोशी को प्रकरण में जवाब प्रस्तुती के लिए पर्याप्त समय/अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किए जाने से दिनांक 06.09.2017 को न्यायालय द्वारा अप्रार्थी का जवाब प्रस्तुती का अवसर बंद किया गया। तत्पश्चात् प्रकरण साक्ष्य के लिए लंबित रहा। पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड के अलावा अन्य कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया। अप्रार्थी अधिवक्ता को मौखिक साक्ष्य पेश करने के लिए भी कई मर्तबा समय/अवसर दिए जाने के बावजूद आदिनांक तक कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया। विधि अनुसार प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष का कोई जवाब नहीं होने पर साक्ष्य लिया जाना न्यायसंगत भी नहीं है, परन्तु नैसृगिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी न हो, इसलिए मौखिक साक्ष्य पेश करने के लिए पर्याप्त समय/अवसर दिए जा चुके है, बावजूद मौखिक साक्ष्य पेश नहीं करने तथा पत्रावली में आदेशिका दिनांक 06.09.2017 से अप्रार्थी का जवाब अवसर बंद हो जाने से प्रार्थी पेरोकार सरकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

पेज लगातार.....02

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्व प्रकरण सं. 71/2012 RCMS NO: 2012/00127
अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम विनय वैष्णव
अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थी पेरोकार सरकार ने बहस में प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमियां ग्राम जादरी के खसरा नंबर 351/3 रकबा 2.88 हैक्टेयर किस्म बंजड एवं खसरा नंबर 354/3 रकबा 0.24 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम कृषि भूमियां है, परन्तु मौके पर अप्रार्थीगण खातेदारों द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ प्लान काटकर प्लॉटों का बेचान किया जा रहा है। अप्रार्थीगण खातेदारों का उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन है। अतः वादग्रस्त भूमि को सिवायचक घोषित कर कब्जा सरकार लिए जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्यन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 की प्रतियों में दर्ज इन्द्राज के अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम जादरी के खसरा नंबर 351/3 रकबा 2.88 हैक्टेयर किस्म बंजड एंवं खसरा नंबर 354/3 रकबा 0.24 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम कृषि भूमियां है। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुती के समय पटवारी हल्का बेडल की मौका रिपोर्ट व प्रस्तुत मौके के फोटो चित्रों से यह प्रमाणित है कि अप्रार्थीगण खातेदारान् द्वारा अपनी खातेदारी भूमियों को अकृषि प्रयोजन उपयोग में लेने की चेष्टा से साईट प्लान बनाते हुए मौके पर प्लॉटिंग कर प्लॉट नंबर भी अंकन कर दिए तथा बिना आवासीय संपरिवर्तन कराये कृषि भूखण्डों के रूप में प्लॉटों का बेचान किया जा रहा है। प्रार्थी तहसीलदार के आवेदन पत्र पर दिनांक 20.05.2012 को वादग्रस्त भूमियों के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की गई, परन्तु प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त भूमि जादरी के खसरा नंबर 351/3 रकबा 5.15 हैक्टेयर किस्म बंजड के खातेदार विनय पुत्र उदयशंकर वैष्णव के साथ–साथ अन्य कई सहखातेदार दर्ज है। इस प्रकार न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भूमि का बेचान हस्तान्तरण हुआ है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि वादग्रस्त भमियां ग्राम जादरी के खसरा नंबर 351/3 रकबा 2.88 हैक्टेयर किस्म बंजड एवं खसरा नंबर 354/3 रकबा 0.24 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम कृषि भूमियां है, परंतु अप्रार्थीगण खातेदारान् द्वारा धारित भूमियों को अकृषि प्रयोजन उपयोग में लेने तथा स्थगन के बावजूद बेचान/हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार बाली स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम जादरी के खसरा नंबर 351/3 रकबा 2.88 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 354/3 रकबा 0.24 हैक्टेयर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत राजकीय सिवायचक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिए जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश की प्रति तहसीलदार बाली व पटवार हल्का बेडल को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12-06-2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner